

बाल विवाह है कानूनी अपराध



बाल विवाह करने, कराने और प्रोत्साहित करने की सजा दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

लड़की की शादी 18 साल के बाद और लड़के की शादी 21 साल के बाद!

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

शराब की खातिर, घर की शांति को भंग ना करें, शराब से दूर रहें!